आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख
	लगान धार्य वाद सं० 28/17-18	

-: आदेश :-

अंचल अधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक–390/रा0, दिनांक– 03.08. 2017 के द्वारा मौजा–लगडूम, जमाबंदी संख्या–173, दाग संख्या– 2993 के अन्तर्गत बंदोबस्ती पट्टा से प्राप्त रकबा–05बीधा–04कट्ठा–13धूर (पाँच बीधा चार कट्ठा तेरह धूर) जमीन का लगानधार्य आवेदिका श्रीमति दुलाड़ सोरेन, पिता–स्व0 अनपा सोरेन, सा0–लागडुम, जिला–पाकुड़ के नाम से करने से संबंधित प्रस्ताव प्रपत्र एम0 में प्राप्त हुआ है। हल्का कर्मचारी/ अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन जो अंचल अधिकारी, पाकुड़िया द्वारा हस्ताक्षरित है के अनुसार प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियानी में पुरातन पतित कहकर दर्ज है। ग्राम प्रधान द्वारा वर्ष 1986 में ही बन्दोबस्त कर दिया गया है। न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के बन्दोबस्ती मु0 सं0–78/2002–03 साथ में वंदोवस्ती मुकदमा सं0–18/2002–03 में दिनांक– 03.11.2003 को पारित आदेश द्वारा आवेदिका श्रीमती दुलाड़ सोरेन, पिता–स्व0 अनपा सोरेन, सा0–लागडुम, के साथ ग्राम प्रधान के द्वारा दी गई बंदोबस्ती पट्टा को संपुष्ट किया गया है। उक्त भूमि पर आवेदिका का शांतिपूर्ण भोग दखल कब्जा है। अंचल अधिकारी पाकुड़िया ने प्रश्नगत भूमि का लगान निर्धारण करने का स्पष्ट अनुशंसा की है।

अंचल अधिकारी, पाकुड़िया ने प्रश्नगत भूमि से संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक पाकुड़िया के अनुशंसा एवं राजस्व आय में वृद्धि के मद्देनजर भूमि का वार्षिक लगान 15/–(पन्द्रह रुपए) प्रतिवर्ष प्रतिबीघा अलावे सेस निर्धारित करने की अनुशंसा की है।

अतः अंचल अधिकारी पाकुड़िया के अनुशंसा एवं राजस्व आय में वृद्धि के आधार पर प्रश्नगत भूमि का 15/–(पन्द्रह रूपये) प्रति बीधा वार्षिक लगान के अलावे सेस आवेदिका श्रीमती दुलाड़ सोरेन, पिता–स्व0 अनपा सोरेन, सा0–लागडुम, थाना–पाकुड़िया, जिला–पाकुड़ के नाम करने की स्वीकृति दी जाती है। लगान जमीन्दारी उन्मूलन की तिथि से वसूलनीय होगा। प्रपत्र एम0 में हस्ताक्षर कर दिया गया है। प्रपत्र एम0 की एक प्रति एवं आदेश की प्रति अंचल अधिकारी पाकुड़िया को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

Digitally signed by HARI BANSH PANDIT
Date: 2023.04.19 12:32:19 +05:30
Location: 10.93.53.11

लेखापित एवं संशोधित।

(ह०) 1/8/22

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
पाकुड़।

(ह०) 1/8/22

भूमि सुधार उप–समाहर्ता,
पाकुड़।